| न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनेन्द्रगढ जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)<br>(पीठासीन अधिकारी–लोकेश कुमार ) | |
|---|---|
| निर्णय दिनांक 19/08/2026<br>दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– 30/21<br>अपराध क्रमांक– 144/2020<br>संस्थित दिनांक– 30/01/2021<br>सी.आई.एस.–75/21 | |
| अभियोजन/अभियोगी | छत्तीसगढ़ शासन |
| अभियोजन/प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता | ए0 डी0 पी0 ओ0 |
| अभियुक्त/अभियुक्तगण | दिलिप मिंज पिता जोवा किम मिंज जाति उरांव उम्र–38 वर्ष, ग्राम गांधी नगर शासकीय दूध डेयरी फार्म के नीचे वार्ड क्रमांक 02 थाना गांधीनगर जिला सरगुजा (छ.ग.) |
| अभियुक्त के द्वारा अधिवक्ता | श्री दीपक श्रीवास्तव |
| अपराध का दिनांक | 24.11.2020 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक | 24.11.2020 |
| गिरफतारी का दिनांक | 25.11.2020 |
| जमानत पर छोडने का दिनांक | 25.11.2020 |
| आरोपित अपराध | धारा 279, 338 एवं 304 ए भा.दं.सं. |
| चार्जशीट प्रस्तुत करने का दिनांक | 30.01.2021 |
| आरोप/अपराध विवरण का दिनांक | 15.07.2022 |
| साक्ष्य प्रारंभ किये जाने का दिनांक | 28.09.2020 |
| निर्णय सुरक्षित रखे जाने का दिनांक | 19.08.2026 |
| निर्णय का दिनांक | 19.08.2026 |
| दोषसिद्ध या दोषमुक्त | **दोषमुक्त** |
| दण्डादेश का दिनांक, यदि कोई हो तो | निरंक |
| दंडादेश में दी गयी सजा | निरंक |
| दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के प्रयोजन से विचारण के दौरान भुगतायी गयी निरोध अवधि | निरंक |

## न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनेन्द्रगढ जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)
## पीठासीन अधिकारी– लोकेश कुमार

निर्णय दिनांक 19/08/2026
दाण्डिक प्रकरण क्रमांक– 30/21
अपराध क्रमांक– 144/2020
संस्थित दिनांक– 30/01/2021
सी.आई.एस.–75/21

छ.ग. शासन द्वारा

आरक्षी केन्द्र थाना पोडी

जिला– एम.सी.बी. (छ.ग.) ......................... **अभियोजन**

**बनाम**

दिलिप मिंज पिता जोवा किम मिंज जाति उरांव

उम्र–38 वर्ष, ग्राम गांधी नगर शासकीय दूध डेयरी फार्म के नीचे

वार्ड क्रमांक 02 थाना गांधीनगर जिला सरगुजा (छ.ग.)

................**अभियुक्त**

---

**राज्य की ओर से ए0 डी0 पी0 ओ0**

**आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री श्री दीपक श्रीवास्तव ।**

---

# // निर्णय //

**(आज दिनॉक 19.08.2026 को घोषित किया गया)**

**01.** अभियुक्त **दिलिप मिंज** के विरूद्ध **धारा 279, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता** के तहत आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 24.11.2020 को शाम 18:50 बजे या उसके लगभग स्थान एन.एच. 43 रोड सेमरा स्थित बिरयानी सेंटर के सामने, अंतर्गत चौकी–नागपुर, आरक्षी केन्द्र–पोड़ी, जिला–कोरिया (छ०ग०) पर वाहन Gupta Travels Bus CG–15–AB–0113 को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को सकंटापन्न किया तथा उसी घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन Gupta Travels Bus CG–15–AB–0113 को लोक मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मोटरसायकल डिस्कवर CG–16–CE–5167 को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे उसमें सवार आहत उषा पाल को घोर उपहति कारित हुई तथा उसी घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन Gupta Travels Bus CG–15–AB–0113 को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मोटरसायकल डिस्कवर CG–16–CE–5167 को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे उसमें सवार राजेश पाल की मृत्यु कारित हुई, जो अपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता ।

**02.** प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है ।

**03.** अभियोजन कहानी सारांश में इस प्रकार है कि सूचक/प्रार्थी

सोनूपाल द्वारा मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि उसके बडे भाई का लडका राजेश पाल अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां एवं बडे भाई पिक्कूपाल के साथ ट्रांसपोर्ट नगर पोडी में रहता था । दिनांक 24.11.2020 को ट्रांसपोर्ट नगर पोडी से एकादशी त्यौहार मनाने के लिए वह मूल निवास ग्राम हर्रा जोबापारा मुर्गा पहुंचाने आया था तथा मुर्गा पहुंचाकर शाम को अपने बुआ की लडकी आहता उषा पाल उम्र–12 वर्ष को लेकर अपने डिस्कवहर मोटरसायकल CG–16–CE–5167 में बैठाकर ट्रांसपोर्ट नगर जाते समय समय 6.50 बजे NH43 रोड सेमरा बिरयानी सेंटर के सामने गुप्ता Gupta Travels Bus CG–15–AB–0113 का चालक अपने वाहन को सवारी उतारने हेतु अपने वाहन को अचानक रोड में रोक दिया, जिससे पीछे से आ रही मृतक राजेशपाल का मोटरसायकल टकराकर एक्सीडेंट होने से मृतक की मृत्यु मौके पर ही हो गयी थी । प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबध्द कर अन्वेषण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी । अन्वेषण की कार्यवाही पूर्ण होने पर संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

**04.** अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 279, 338, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता** के तहत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये व समझाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार कर विचारण चाहा। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का अभियुक्त कथन तैयार कर परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयं को

निर्दोष एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्त के द्वारा बचाव साक्ष्य पेश नही करना व्यक्त किया गया है।

05. **प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –**

**(i)** क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 24.11.2020 को शाम 18:50 बजे या उसके लगभग स्थान एन.एच. 43 रोड सेमरा स्थित बिरयानी सेंटर के सामने, अंतर्गत चौकी–नागपुर, आरक्षी केन्द्र–पोड़ी, जिला–कोरिया (छ०ग०) पर वाहन Gupta Travels Bus CG–15–AB–0113 को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को सकंटापन्न किया ?

**(ii)** क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन Gupta Travels Bus CG–15–AB–0113 को लोक मार्ग पर उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मोटरसायकल डिस्कवर CG–16–CE–5167 को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे उसमें सवार आहत उषा पाल को घोर उपहति कारित हुई?

**(ii)** क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन Gupta Travels Bus CG–15–AB–0113 को लोक मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मोटरसायकल डिस्कवर

CG-16-CE-5167 को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित की, जिससे उसमें सवार राजेश पाल की मृत्यु कारित हुई, जो अपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता ?

**<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक (i) (ii) एवं (iii) एक दूसरे से संबंधित होने के कारण तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है</u> ।**

06. अभियोजन की ओर से मामले के अंतर्गत उक्त विचारणीय प्रश्न के समर्थन में कुल 03 साक्षीगण–सोनूपाल (अ.सा. 01), पिक्कूपाल (अ.सा. 02), संजू पाल (अ.सा. 03) का साक्ष्य कराया गया है। प्रकरण 05 वर्ष से अधिक पुराना तथा टारगेट श्रेणी में है । अभियोजन को समुचित साक्ष्य अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी उनके द्वारा प्रकरण के शेष साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी है । अतः प्रकरण के लंबनकाल एवं अभियोजन को प्रदान किये जा चुके साक्ष्य अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है ।

07. **प्रार्थी सोनूपाल (अ.सा. 01)** ने साक्षी को आरोपी दिलीप मिंज की गिरफ्तारी पत्रक में चस्पा फोटो दिखाये जाने पर नहीं पहचानना व्यक्त किया। मृतक राजेश उसका भतीजा और आहता उषा उसकी भांजी है। घटना दिनांक को साक्षी घर में था तभी फोन आया और बताया गया कि नागपुर बिरयानी सेंटर के सामने

साक्षी के भतीजे का बस से एक्सीडेंट हो गया है, सूचना पाकर साक्षी मौके पर गया था तब तक आहतों को अस्पताल ले जाया जा चुका था। साक्षी अस्पताल गया था तब उसके भतीजे की मृत्यु हो चुकी थी और उषा को सिर में चोट लगी थी। साक्षी ने पुलिस को राजेश पाल की रोड एक्सीडेंट से मृत्यु की सूचना पुलिस चौकी नागपुर में दिया था। मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श पी–1 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिसवालों ने मृतक राजेश पाल के शव का पंचनामा हेतु नोटिस प्रदर्श पी–2 दिया था जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिसवालों ने मृतक के शव का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–3 तैयार किया था जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने गुप्ता ट्रैवल्स बस क्रमांक सीजी 15/एबी–0113 के चालक के विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिस जाचं करने गई थी, घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–5 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। घटना के बारे में पुलिस वाले ने पूछताछ कर साक्षी का बयान लिया था।

**08.** अभियोजन की ओर से न्यायालय की अनुमति से साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना शाम के समय 6.45–7.00 बजे की है। यह भी स्वीकार किया है कि साक्षी ने पुलिस को बयान देते समय बताया था कि एनएच–43 रोड सेमरा पुलिस चौकी नागपुर के आगे बिरयानी सेंटर

के सामने अम्बिकापुर से कोरिया कॉलरी जाने वाली गुप्ता ट्रैवल्स बस क्रमांक सीजी 15/एबी–0113 का चालक द्वारा अचानक बस को मोड़ पर रोक देने से उसके भतीजे राजेश अपने मोटरसायकल से पीछे बम्फर में टकराने, ठोकर लगने से घटना होना बताया था। यह भी स्वीकार किया है कि वह पुलिस को बयान देते समय बस चालक ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर बस को लेकर भाग गया था। यह अस्वीकार किया है कि मैं पुलिस को बस चालक का नाम दिलीप मिंज बताया था। यह स्वीकार किया है कि साक्षी ने पुलिस को बयान देते समय बताया था कि गुप्ता ट्रैवल्स का चालक अपने वाहन से सवारी उतारने लापरवाहीपूर्वक अचानक बस को रोकने से बस के पीछे बम्फर में ठोकर लगने से मृत्यु हुआ है । बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के समय दुर्घटनास्थल पर नहीं था इसलिए स्वयं दुर्घटना होते हुए नहीं देखा है । यह भी स्वीकार किया है कि साक्षी ने पुलिस में जो सूचना दी थी व सुनी सुनाई बातें बताया था ।

09. **साक्षी संजू पाल (अ.सा. 02)** ने आरोपी को नहीं पहचानना व्यक्त करते हुए कथन किया है कि राजेश उसका भतीजा और आहता उषा उसकी भांजी है। घटना दिनांक को साक्षी घर में था तभी फोन आया और बताया गया कि नागपुर बिरयानी सेंटर के सामने राजेश और उषा का बस से एक्सीडेंट हो गया है । सूचना पाकर साक्षी मौके पर गया था तब तक आहतों को एम्बुलेंस में डाल चुके थे। साक्षी

अस्पताल गया था, उसके भतीजे की मृत्यु हो चुकी थी और उषा को सिर में चोंट लगी थी। पुलिसवालों ने मृतक राजेश पाल के शव का पंचनामा हेतु नोटिस प्रदर्श पी–2 दिया था जिसके ब से ब भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिसवालों ने मृतक के शव का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–3 तैयार किया था जिसके ब से ब भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। घटना के बारे में पुलिसवाले ने पूछताछ कर साक्षी का बयान लिया था।

10. अभियोजन की ओर से न्यायालय की अनुमति से साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह पुलिस को बयान देते समय बस का नंबर सीजी–15/एबी–0113 बताया था। यह भी अस्वीकार किया है कि बस का चालक ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर बस को लेकर भाग गया था। यह भी अस्वीकार किया है कि वह पुलिस को बयान देते समय बताया था कि गुप्ता ट्रैवल्स का चालक अपने वाहन से सवारी उतारने लापरवाहीपूर्वक अचानक बस को रोकने से बस के पीछे बम्फर में ठोकर लगने से मृत्यु हुआ है । बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह दुर्घटनास्थल पर नहीं था इसलिए दुर्घटना होते हुए नहीं देखा है । यह भी स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना में संलिप्त बस को भी नहीं देखा था तथा न्यायालय में जो बात बताया है वह दूसरों से सुनी हुई बाते हैं ।

11. **साक्षी पिंकूपाल (अ.सा. 03)** ने आरोपी दिलीप मिंज को नहीं

पहचानना व्यक्त करते हुए कथन किया है कि मृतक राजेश उसका सगा भाई और आहता उषा उसके बुआ की लड़की है। घटना दिनांक को साक्षी घर में था तभी फोन आया और बताया गया कि नागपुर बिरयानी सेंटर के सामने भाई राजेश और उषा का बस से एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पाकर साक्षी मौके पर गया था तब तक आहतों को अम्बुलेंस में डाल चुके थे। साक्षी अस्पताल गया था तब उसके भाई की मृत्यु हो चुकी थी और उषा को सिर में चोट लगी थी। पुलिसवालों ने मृतक राजेश पाल के शव का पंचनामा हेतु नोटिस प्रदर्श पी–2 दिया था जिसके स से स भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। पुलिसवालों ने मृतक के शव का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–3 तैयार किया था जिसके स से स भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। घटना के बारे में पुलिसवाले ने पूछताछ कर साक्षी का बयान लिया था।

12. अभियोजन की ओर से न्यायालय की अनुमति से साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह पुलिस को बयान देते समय बताया था कि उसका भाई की मृत्यु गुप्ता बस के चालक द्वारा अचानक बस को बिना संकेत दिये रोकने से बस के पीछे बम्फर में टकराने से एक्सीडेंट होने से मृत्यु हुई है। बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के समय दुर्घटनास्थल पर नहीं था इसलिए दुर्घटना होते हुए स्वयं नहीं देखा है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना में संलिप्त बस को भी नहीं देखा था तथा न्यायालय में जो बातें इस साक्षी ने बतायी है

वह दूसरों से सुनी हुई बातें हैं ।

13. प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का अभाव है । अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये तीनों साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि वे दुर्घटनास्थल पर नहीं थे तथा दुर्घटना होते हुए उन्होंने नहीं देखा है । उक्त तीनों साक्षीगण अनुश्रुत प्रकृति के साक्षीगण हैं । तीनों साक्षियों द्वारा आरोपी की पहचान भी नहीं की जा सकी है । ऐसी स्थिति में अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर दुर्घटनाकारित करनेवाली वाहन को अभियुक्त द्वारा ही चलाया जा रहा था । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ अभियुक्त को प्राप्त होता है । फलतः अभियुक्त **दिलिप मिंज** को संदेह का लाभ देते हुए **धारा 279, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है ।

14. अभियुक्त के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त द्वारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत स्वयं का बंधपत्र निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

15. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत अभियुक्त के अभिरक्षा में निरूद्ध अवधि के संबंध में प्रमाण पत्र बनाया जावें, जो निर्णय का भाग होगा।

16. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक सफेद, नीला, पीला कलर का पुरानी इस्तेमाली गुप्ता ट्रेवल्स बस क्रमांक CG-15-AB-0113 चेसिस नंबर

MAT3651898N33970 इंजन नंबर 497TC93QZ848085 चालू हालत में जिसका बम्फर बायां साईड पचका कीमती करीब 10,000,00 रूपये तथा बस क्रमांक CG-15-AB-0113 का रजिस्ट्रेशन कार्ड की मूल प्रति तथा बीमा कागज जिसकी मियाद 07.10.2020 से 31.12.2020 तक लेख है तथा फिटनेस प्रमाण पत्र पूर्व से सुपुर्दनामे पर है जिसे अपील न होने पर सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित समझा जावे । आरोपी दिलिप मिंज का ड्रायविंग लायसेंस की मूल प्रति पूर्व से सुपुर्दनामे पर नहीं है । उक्त ड्रायविंग लायसेंस स्वामी को अपील अवधि पश्चात् स्वामित्व सिद्ध किये जाने पर प्रदान किया जावे। अपील होने की स्थिति में उक्त संपत्तियों का व्ययन माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावे।

**निर्णय टंकित हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया**
**दिनांक 19.08.2026**

**मेरे निर्देशन में टंकित**

**(लोकेश कुमार)**
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**मनेन्द्रगढ़, जिला–एमसीबी छ0ग0**

**(लोकेश कुमार)**
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**मनेन्द्रगढ़, जिला–एमसीबी छ0ग0**

Digitally signed by LOKESH KUMAR
Date: 2026.08.21 18:38:49 +0530

**प्रमाण पत्र**
**(अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता)**

| आरोपी का नाम | पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध अवधि | न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध अवधि | कुल अभिरक्षा में निरूद्ध अवधि |
|---|---|---|---|
| दिलिप मिंज | – निरंक – | – निरंक – | – निरंक – |

दिनांक – 19.08.2026

(लोकेश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मनेन्द्रगढ जिला–एम.सी.बी. (छ.ग.)

Digitally signed by LOKESH KUMAR
Date: 2026.08.21 18:38:41 +0530

छ.ग. नियम एवं आदेश (आपराधिक)के नियम 240–क के अंतर्गत निर्मित
तालिकाः–
अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

**क्र.अभियोजन**

| साक्षी क्रमांक | साक्षी का नाम | विवरण {साक्ष्य की प्रकृति प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)} |
|---|---|---|
| अ.सा.–01 | सोनू पाल | अन्य साक्षी |
| अ.सा.–02 | संजू पाल | अन्य साक्षी |
| अ.सा.–03 | पिंकूपाल | अन्य साक्षी |

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

**क्र.अभियोजन**

| प्रदर्श क्रमांक | प्रदर्श का विवरण | किसके द्वारा प्रमाणित/अभिप्रमाणित |
|---|---|---|
| प्र.पी.–01 | मर्ग इंटीमेशन | अ.सा.–01 |
| प्र.पी.–02 | शव पंचनामा | अ.सा.–01 |
| प्र.पी.–03 | मृतक के शव का नक्शा पंचायतनामा | अ.सा.–01 |
| प्र.पी.–04 | प्रथम सूचना रिपोर्ट | अ.सा.–01 |
| प्र.पी.–05 | घटना स्थल का नजरी नक्शा | अ.सा.–01 |

अभियोजन/प्रतिरक्षा/जप्त वस्तओं की सूची

**क्र.अभियोजन**

| भौतिक वस्तु क्रमांक | प्रदर्श विवरण | किसके द्वारा प्रमाणित/अभिप्रमाणित |
|---|---|---|
| 01 | निरंक | निरंक |

Date– 19.08.2026

(लोकेश कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मनेन्द्रगढ जिला–एम.सी.बी. (छ.ग.)